न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 85/2020
GCMS No.- : 2020/00212

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादीगण:

1. अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज)
2. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जाति कोली, निवासी शिवा कालोनी नगरा अजमेर जिला अजमेर।
3. डालचन्द पुत्र छितरमल जाति भाम्बी, निवासी आदर्शनगर अजमेर हालमुकाम 2/28, गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण:

1. गोपाल पुत्र भंवरु
2. लक्ष्मण पुत्र भंवरु
3. पूरण पुत्र भंवरु
4. अजीत पुत्र भंवरु
5. सीता पुत्री भंवरु
6. माया पुत्री भंवरु
7. अंजू पुत्री भंवरु
8. रेशमा पत्नी भंवरु
9. घीसी पुत्री भीमा
   जातियान- मेहरात, निवासीगण- भींवगढ, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
10. दुर्गा पुत्र गेना
11. छोटू पुत्र धन्ना
12. हंजा पत्नी धन्ना
13. पूसा पुत्र मंगला
   जातियान- भाम्बी, निवासीगण भींवगढ, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
14. शारदापुत्री मंगला पत्नी नेना जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ, तहसील जैतारण, जिला पाली हालमुकाम भांमियों का होद, चांग गेट के अन्दर ब्यावर जिला अजमेर (राज)।
15. श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)।
16. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख फैसला:-07/10/2020

उपस्थित:. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

-॥ निर्णय ॥- दिनांकः- 24/06/2021

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भीवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक मौजा रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 1904 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 1/3 हिस्से यानि 9 बीघा 00 बिस्वा 13 बिस्वांसी भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है, मगर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रूप मे शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है। जिसका बाई मिट्स् एण्ड बाउण्ड्स् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगणकी खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादी को हर समय उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 1/3 हिस्से यानि 9 बीघा 00 बिस्वा 13 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादी का अलग सें कब्जा व काश्त है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्ड्स् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30.08.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्ड्स् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है। इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से [illegible] उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। यदि प्रतिवादीगण द्वार[illegible]ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

गया तो वादी को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार भंवरु पुत्र दाउ फोत हो चुका है। भंवरु पुत्र दाउ के विधिक वारिस गोपाल पुत्र भंवरु,लक्ष्मण पुत्र भंवरु पूरण पुत्र भंवरुअजीत पुत्र भंवरु सीता पुत्री भंवरु माया पुत्री भंवरुमंजू पुत्री भंवरु रेशमा पत्नी भंवरु है जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 8 के रुप में पक्षकार बनाया गया है। भंवरु पुत्र दाउ के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार भगला पुत्र हिमता फोत हो चुका है। भगला पुत्र हिमता के विधिक वारिस पूसा पुत्र भगला शारदा पुत्री भगला है। जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 13 व 14 के रुप मेंपक्षकार बनाया गया है। भगला पुत्र हिमता के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। प्रतिवादी संख्या 16 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 30.08.2020 को वादीद्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमिका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 14 व 16 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से वकालत नामा, जवाब दावा व काउन्टर दावा पेश किया गया। वकील वादी काउन्टर क्लेम का जवाब नहीं देना चाहते, जवाब बन्द किया ग़या। प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश कर वाद पत्र में वर्णित पद संख्या एक से नौ को स्वीकार करते हुए माफिक इस्तदुआं वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हैं। काउन्टर वाद पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा भींवगढ में स्थित खसरा नम्बर 1904 रकबा 27-02 बीघा में माफिक हक-हिस्से अनुसार वादी/प्रतिवादी संख्या पन्द्रह का भी बंटवाड़ा कर अलग से तरमीम करवाने का आदेश फरमावें। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा भींवगढ सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 15 बरुबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 1904 रकबा 27-02 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 15 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1904 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके मेंडबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/1176 दिनांक 24/12/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/1475 दिनांक 15/06/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जावे की ईस्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1904 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म	लगान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिय कौम– रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज) हि0 13/15,महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर कौम– कोली, निवासी शिवा कालोनी नगरा अजमेर जिला अजमेर हि0 1/30,डालचन्द पुत्र छितरमल कौम– भाम्बी, निवासी आदर्शनगर अजमेर हालमुकाम 2/28, गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर हि0 1/10, खातेदार	1904/2	09–00	बारानी दोयम	2.25
2	श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) जरिये अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भू अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज) खातेदार।	1904/1	18–02	बारानी दोयम	3.75

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दुर्गा पुत्र गेना हि. 4/45, छोटू पुत्र धन्ना हि. 4/45, हंजा पत्नी धन्ना हि. 4/45, मंगला पुत्र हिमता हि. 4/15 कायम मुकाम पर, पूसा पुत्र मंगला हि. 4/45, शारदापुत्री मंगला पत्नी नेना कौम-भाम्बी सा0 देह, धीसी पुत्री भीमा हि. 6/15, भंवरू पुत्र दाऊ हि. 8/20 के कायम मुकाम पर गोपाल पुत्र भंवरू हि 1/20, लक्ष्मण पुत्र भंवरू हि. 1/20, पुरण पुत्र भंवरू हि. 1/20, अजीत पुत्र भंवरू हि. 1/20, सीता पुत्री भंवरू हि. 1/20, माया पुत्री भंवरू हि 1/20, अंजू पुत्री भंवरू हि. 1/20, रेशमा पत्नी भंवरू हि. 1/20, कौम7 मेरात सा. देह खातेदार।	1904/1	01-08	बारानी दोयम	0.35
	1904/3	02-00	बारानी दोयम	0.50
	2	03-08		0.85

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested

संशोधित डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:— जैतारण

बईजलास :— डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

—: वादीगण :—

1. अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज)
2. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जाति कोली, निवासी शिवा कालोनी नगरा अजमेर जिला अजमेर।
3. डालचन्द पुत्र छितरमल जाति भाम्बी, निवासी आदर्शनगर अजमेर हालमुकाम 2/28, गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

बनाम

—: प्रतिवादीगण :—

1. गोपाल पुत्र भंवरु
2. लक्ष्मण पुत्र भंवरु
3. पूरण पुत्र भंवरु
4. अजीत पुत्र भंवरु
5. सीता पुत्री भंवरु
6. माया पुत्री भंवरु
7. अंजू पुत्री भंवरु
8. रेशमा पत्नी भंवरु
9. घीसी पुत्री भीमा
   जातियान— मेहरात, निवासीगण— भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
10. दुर्गा पुत्र गेना
11. छोटू पुत्र धन्ना
12. हंजा पत्नी धन्ना
13. पूसा पुत्र मंगला
    जातियान— भाम्बी, निवासीगण भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
14. शारदापुत्री मंगला पत्नी नेना जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली हालमुकाम भांमियों का होद, चांग गेट के अन्दर ब्यावर जिला अजमेर (राज)।
15. श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)।
16. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 85/2020

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज सामने ईजलियाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिन[illegible] मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट [illegible] अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1904

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किस्म	लगान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिय कौम- रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज) हि0 13/15,महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर कौम- कोली, निवासी शिवा कालोनी नगरा अजमेर जिला अजमेर हि0 1/30,डालचन्द पुत्र छितरमल कौम- भाम्बी, निवासी आदर्शनगर अजमेर हालमुकाम 2/28, गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर हि0 1/10, खातेदार	1904/2	09-00	बारानी दोयम	2.25
2	श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज) खातेदार।	1904	14-14	बारानी दोयम	3.75
3.	दुर्गा पुत्र गेना हि. 4/45, छोटू पुत्र धन्ना हि. 4/45, हंजा पत्नी धन्ना हि. 4/45, मंगला पुत्र हिमता हि. 4/15 कायम मुकाम पर, पूसा पुत्र मंगला हि. 2/15, शारदा पुत्री मंगला पत्नी नेना हि. 2/15 कौम- भाम्बी सा0 देह, घीसी पुत्री भीमा हि. 6/15, भंवरू पुत्र दाऊ हि. 8/120 के कायम मुकाम पर गोपाल पुत्र भंवरू हि 1/120, लक्ष्मण पुत्र भंवरू हि. 1/120, पुरण पुत्र भंवरू हि. 1/120, अजीत पुत्र भंवरू हि. 1/120, सीता पुत्री भंवरू हि. 1/120, माया पुत्री भंवरू हि 1/120, अंजू पुत्री भंवरू हि. 1/120, रेशमा पत्नी भंवरू हि. 1/120, कौम- मेरात सा. देह खातेदार।	1904/1	01-08	बारानी दोयम	0.35
		1904/3	02-00	बारानी दोयम	0.50
		2	03-08		0.85

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19/07/2021 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	- 00	स्टाम्प वकालतनामा	01	- 00
स्टाम्प वकालतनामा	01	- 00	स्टाम्प अर्जी	02	- 00
स्टाम्प वजह सबूत	<		महनताना वकील		
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान	/	
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	03	- 00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः-	06	- 00	मिजानः-	03	. 00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested